

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-III अनुभाग

पुनःपरीक्षित अंतिम संवीक्षा/लघुसूचीयन विवरण

| | |
|-----------------|---|
| पद का नाम | विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में विपणन अधिकारी (समूह-III) के एक स्थायी पद की पांच (05) सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह ख राजपत्रित, अननुसचिवीय रिक्तियां (अना.-03, ईडब्ल्यूएस-01, अ.पि.व.-01) |
| विज्ञापन संख्या | 05/2023 |
| रिक्ति संख्या | 23030504311 |

| | |
|-------------------------------|---|
| अनिवार्य योग्यताएं (ईक्यू) | <p>(क) शैक्षिक:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या कृषि रसायन विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या डेयरी या जैव-प्रौद्योगिकी या जैव-रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से तेल प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या रसायन प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री।</p> <p>(ख) अनुभव:</p> <p>शून्य</p> |
| वांछनीय योग्यता (डीक्यू) | <p>जैविक सामग्री के विश्लेषणात्मक कार्य के क्षेत्र में या दूध और दूध उत्पादों के विपणन क्षेत्र में, तेलों और सह-उत्पादों सहित सुगंधित तेलों और बसाओं के विपणन के क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या समकक्ष द्वारा विपणन प्रबंधन में प्रदान किया गया डिप्लोमा।</p> |

| | |
|-----------------|--|
| अपनाए गए मापदंड | <p>i) संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा उनके आवेदनों में ऑन-लाइन भरी गई जानकारी और आवेदन के साथ अपलोड किए गए समर्थित दस्तावेजों के आधार पर की गई है।</p> <p>ii) आवेदनों की संवीक्षा पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।</p> <p>iii) संवीक्षा हेतु केवल ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किए गए दावों को ही शैक्षिक योग्यता/अनुभव के रूप में माना गया है। केवल उन उम्मीदवारों के समर्थित दस्तावेजों की जांच की गई है, जिन्होंने ऐसे दावों के संबंध में सूचना दी है जो उनकी अ.यो.-क और वा.यो. के संबंध में पद संबंधित उनकी पात्रता के स्वीकार्य हैं। ओआरए के संगत माँड्यूल में इनकी सूचना दिए बिना संलग्न किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>iv) अ.पि.व. और अनारक्षित श्रेणियों हेतु वा.यो. (डीक्यू) लागू की गई है।</p> |
|-----------------|--|

| | |
|--|---|
| | <p>v) कार्बनिक रसायन विज्ञान, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और रसायन इंजीनियरी, खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री को अ.यो. (क) के रूप में स्वीकार किया गया है।</p> <p>vi) अध्यापन को संगत अनुभव नहीं माना गया है।</p> <p>vii) अ.यो. (क) की अवधि के दौरान प्रशिक्षण को एक मान्य/संगत अनुभव अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।</p> <p>viii) शोध अनुभव को स्वीकार किया गया है। तथापि, पीएच.डी. पूर्ण करने के दौरान प्राप्त अनुभव को तीन वर्ष तक सीमित कर दिया गया है, चाहे दावा किए गए अनुभव की अवधि कुछ भी हो और इसे तभी स्वीकार किए गया है यदि पीएच.डी. पूर्ण हो गई हो और डिग्री प्रदान कर दी गई हो।</p> <p>ix) आयोग के परिपत्र सं.एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर, उनके अनुभव प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है, यदि उसमें अपेक्षित सूचना उपलब्ध हो।</p> <p>x) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, त्याग पत्रों, वेतन प्रमाण-पत्रों, सेवा प्रमाण-पत्रों और उम्मीदवारों द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रों या स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों पर अनुभव के प्रमाण के रूप में विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>xi) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों पर कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किए गया है, उन पर विचार नहीं किया गया है और 'अपूर्ण' के रूप में अस्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार, ऐसे आवेदक जिन्होंने संगत अनुभव का दावा किया है लेकिन इसके समर्थन में संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र दावा की गई सम्पूर्ण अवधि का नहीं है या किए गए दावे का समर्थन नहीं करता है, उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।</p> <p>xii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>नोट: आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।</p> |
|--|---|

संवीक्षा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 18/06/2024 को अपलोड किए गए थे, जिसके द्वारा अस्वीकृत उम्मीदवारों को अपनी अस्वीकृति के संबंध में दिनांक 28.06.2024 तक अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया था।

उम्मीदवारों से सैंतीस (37) ई-मेल/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इन सभी की जांच की गई है। उपरोक्त उम्मीदवारों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन और शैक्षिक योग्यताएं तथा दावा किए गए अनुभव के दावे का पुनःपरीक्षण, अभ्यावेदनों और आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंडों एवं मानदंडों के सन्दर्भ में किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, अनंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदनों का भी पुनःपरीक्षण किया गया है। अनुवर्ती टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

| अनंतिमता के संबंध में प्राप्त हुए मेल | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| क्रम सं. | अनुक्रमांक | ई-मेलों की संख्या | टिप्पणियां | निर्णय |
| 1 | 054, 111, 222, 227, 230, 244, 247, 250, 263, 287, 321, 327, 333, 366 | 14 | जमा किए गए दस्तावेज क्रम में हैं | अनंतिमता की शर्त को हटा दिया गया है। |

| | | | | |
|--|--|----|--|---|
| 2 | 228 | 01 | डिग्री जमा कर दी गई है। परन्तु नवीनतम ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जमा कराने में असमर्थ। सामान्य श्रेणी के रूप में विचार करने का अनुरोध। वा.यो का दावा नहीं करने के कारण इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। | अपूर्ण के अंतर्गत अस्वीकार किया गया। |
| 3 | 253 | 01 | जमा किए गए ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र में अधिलेखन (ओवरराइटिंग) है। अतः फर्जी मानकर अस्वीकार किया गया। | अपूर्ण के रूप में अस्वीकृत |
| अस्वीकृति – अपूर्ण आवेदन के संबंध में प्राप्त मेल | | | | |
| 4 | 030, 178, 197, 209, 218, 288 | 06 | आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए और क्रम में पाए गए | साक्षात्कार के लिए लघुसूचीबद्ध किया गया |
| 5 | 066, 260 | 02 | नया अनुभव प्रमाण-पत्र जमा किया गया, परन्तु यह आवेदन प्रपत्र में किए गए दावे से मेल नहीं खाता | अस्वीकृति की स्थिति बरकरार |
| अस्वीकृति – निर्धारित आयु से अधिक आयु के संबंध में प्राप्त मेल | | | | |
| 6 | 299 | 01 | एनआईपीएचएम एक स्वायत्त निकाय है, अतः आयु छूट के लिए हकदार नहीं | अस्वीकृति की स्थिति बरकरार |
| अस्वीकृति – एलडीक्यू के संबंध में प्राप्त मेल | | | | |
| 7 | 265 | 01 | पीएच.डी डिग्री जमा कर दी गई। परन्तु यह अंतिम तारीख के बाद पूरी हुई। | अस्वीकृति की स्थिति बरकरार |
| 8 | 340 | 01 | संगत अनुभव का दावा किया गया। चूंकि जल एक कार्बनिक पदार्थ नहीं है, अनुभव को संगत नहीं माना गया। | अस्वीकृति की स्थिति बरकरार |
| अस्वीकृति – एलडीक्यू / विचाराधीन क्षेत्र से बाहर के संबंध में प्राप्त मेल | | | | |
| 9 | 039, 058, 185, 211, 331, 334, 367, | 07 | उम्मीदवारों ने अपने संबंधित ऑनलाइन आवेदनों में वा.यो का दावा नहीं किया है। अतः उन्हें विचाराधीन क्षेत्र से बाहर रखा गया है। आवेदन को इस स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता। | अस्वीकृति की स्थिति बरकरार |
| 10 | 102, 137, 297 | 03 | आवेदन खो गया/ अनुक्रमांक पता नहीं/ स्थिति पता नहीं लगा पा रहे। अपने संबंधित ऑनलाइन आवेदनों में वा.यो का दावा नहीं किया गया है। अतः उन्हें विचाराधीन क्षेत्र में नहीं रखा गया। आवेदन को इस स्तर पर संशोधित नहीं किया जा सकता। | अपूर्ण के रूप में अस्वीकृत |
| अंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध | | | | |
| 11 | 004, 103, 190, 231, 235, 240, 305, 332, 361 (09 उम्मीदवार) | - | मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं किए गए | अपूर्ण के रूप में अस्वीकृत |

उपरोक्त अस्वीकृत आवेदनों के संबंध में दिए गए दस्तावेज, स्पष्टीकरण और औचित्य संतोषप्रद नहीं पाए हैं और ये आयोग के प्रारंभिक निर्णय को संशोधित और परिवर्तित करके इन उम्मीदवारों को लघुसूचीबद्ध करने के लिए उपयुक्त एवं विश्वसनीय आधार नहीं हैं। इसलिए, इनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।

संवीक्षा

01 अ.पि.व. रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क) + वा.यो. (डी क्यू)

साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए

अनुक्रमांक:

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 263 | 266 | 277 | 287 | 288 | 301 | 314 | 321 | 325 |
| 327 | 329 | 330 | 333 | 336 | 339 | 347 | 362 | 366 |

(18 उम्मीदवार)

अस्वीकृत

निर्धारित आयु से अधिक आयु

299

(01 उम्मीदवार)

एलडीक्यू

अनुक्रमांक:

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 265 | 283 | 322 | 340 | 343 | 344 | 360 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

(07 उम्मीदवार)

अपूर्ण

अनुक्रमांक

| कारण | अनुक्रमांक |
|---|---------------|
| अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं | 292 |
| कार्य का स्वरूप नहीं | 295, 319 |
| ओआरए में किए गए से दावे से अनुभव प्रमाण-पत्र मेल नहीं खाता | 260 |
| अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र | 284, 320 |
| अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में कक्षा X का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं। | 310, 364 |
| मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं किए गए | 305, 332, 361 |
| <i>नियुक्ति/ त्याग पत्र/ तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/ कार्यालय आदेशों/वेतन प्रमाण-पत्रों/ उम्मीदवारों द्वारा स्वयं स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों आदि पर अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया।</i> | |

(11 उम्मीदवार)

01 ईडब्ल्यूएस रिक्ति

मानदंड: अ.यो. (क)

लघुसूचीबद्ध किए गए

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 223 | 226 | 227 | 229 | 230 | 232 |
| 233 | 234 | 237 | 238 | 239 | 241 |
| 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 |
| 248 | 250 | 251 | 252 | 254 | 255 |
| 256 | 257 | | | | |

(26 उम्मीदवार)

निर्धारित आयु से अधिक आयु

225

(01 उम्मीदवार)

एलईक्यू-‘क’

अनुक्रमांक

224 236

(02 उम्मीदवार)

अपूर्ण

| कारण | अनुक्रमांक |
|---|---------------|
| दावा की गई स्नातक डिग्री संलग्न नहीं + प्रमाण-पत्रों में स्वयं/माता-पिता के नामों में भिन्नता हेतु शपथ पत्र संलग्न नहीं। | 249, |
| नवीनतम ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया गया और ओआरए में वा.यो. का दावा नहीं करने के कारण सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना और विचार नहीं किया जा सकता। | 228 |
| मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं किए गए | 231, 235, 240 |
| मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं किए गए (जमा किया गया ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र में अधिलेखन है) | 253 |
| <i>नियुक्ति/ त्याग पत्र/ तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/ कार्यालय आदेशों/वेतन प्रमाण-पत्रों/ उम्मीदवारों द्वारा स्वयं स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों आदि पर अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया।</i> | |

(06 उम्मीदवार)

03 अनारक्षित रिक्ति

मानदंड अ.यो. (क) + वा.यो. (डीक्यू)

साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए

अनुक्रमांक:

018 030 054 064 071 111 142 143 152 168
178 186 197 203 209 218 222

(17 उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

एलडीक्यू

अनुक्रमांक

29 59 127 179

(04 उम्मीदवार)

अपूर्ण

अनुक्रमांक

| कारण | अनुक्रमांक |
|--|---------------------------------|
| अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं | 068, 094, 145, 188, 194 |
| कार्य का स्वरूप नहीं | 080, 127, 155 |
| अनुभव प्रमाण-पत्र किए गए दावे से मेल नहीं खाता | 028, 066 (कार्य का स्वरूप नहीं) |
| दावा की गई स्नातकोत्तर डिग्री संलग्न नहीं | 021, 108, 117, |
| अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं+ दावा की गई स्नातकोत्तर डिग्री संलग्न नहीं | 118 |
| मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं किए गए | 004, 103, 190 |
| नियुक्ति/ त्याग पत्र/ तैनाती आदेश/सेवा प्रमाण-पत्र/ कार्यालय आदेशों/वेतन प्रमाण-पत्रों/ उम्मीदवारों द्वारा स्वयं स्व-प्रमाण-पत्र/स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों आदि पर अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया। | |

(17 उम्मीदवार)

शेष 265 आवेदनों को उनके ओआरए में वा.यो. (डी क्यू) दावा नहीं किए जाने के आधार पर एलडीक्यू (वांछनीय योग्यता में कमी) श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है।

इस संबंध में आगे कोई पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची उनके अनुक्रमांक सहित आयोग की वेबसाइट में मुख्य पृष्ठ>>भर्ती मामलों की स्थिति (विज्ञापन-वार)>>आवेदकों की सूची में अपलोड की गई है।

संकेतक:

एलईक्यू-क – अनिवार्य योग्यता – क में कमी।

एलडीक्यू – वांछनीय योग्यता में कमी।

ईसी – अनुभव प्रमाण-पत्र।

एनओडी – कार्य का स्वरूप।

ओआरए – ऑनलाइन भर्ती आवेदन

परामर्शदाता उप सचिव/एच के

किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।